आरईसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: कोर -4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर I-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
दूरभाष: +91 124 444 1300 | **वेबसाइट:** www.recindia.nic.in | **सीआईएन:** L40101DL1969GOI005095

सूचना

एतद्द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") की छप्पनवीं (56वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे,** भारतीय मानक समय ("आईएसटी") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

मद संख्या 1: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने, अनुमोदित करने और अपनाने के साथ-साथ निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंतरिम लाभांश के भुगतान पर ध्यान देना तथा अंतिम लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3: श्री शशांक मिश्र (डीआईएन: 08364288) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष व्यवसाय:

मद संख्या 5: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) की नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 196 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियम 17(1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल, 2025 के संचार को विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के आदेश के साथ पढ़ा जाए, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, आईएएस (डीआईएन: 06817799), जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव का वेतन, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और जिसके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुआ है, उन्हें कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में जारी किए गए किसी भी आगे के आदेश के अधीन है और वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगें।"

मद संख्या 6: अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन: 02003319) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या उसके बिना, एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और 17 अप्रैल, 2025 के आदेश को विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा जारी 21 मई, 2025 के निवलिपत्र के साथ पढ़ा जाए, डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन: 02003319), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य, श्री. के. श्रीनिवासन को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त हुआ है, एतद्द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख (अर्थात 17 अप्रैल, 2025) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उन्हें कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगा और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

मद संख्या 7: डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या उसके बिना, एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और 17 अप्रैल, 2025 के आदेश को विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा जारी 21 मई, 2025 के निवलिपत्र के साथ पढ़ा जाए, डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सदस्य को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि (अर्थात 17 अप्रैल, 2025) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन, और वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।"

मद संख्या 8: प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियम सहित) की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 और उसके किसी भी संशोधन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य लागू सेबी विनियमों और दिशानिर्देशों, परिपत्रों/निर्देशों/दिशानिर्देशों सहित किसी भी अन्य लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, जो लागू हो सकते हैं और ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ, जो आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें किसी भी मौजूदा ऋणदाता का अनुमोदन शामिल है / डिबेंचर धारकों के ट्रस्टी, यदि शर्तों के तहत ऐसा आवश्यक हो समझौते/विलेख के अधीन और ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन जो उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित या लगाए जा सकते हैं, ऐसे अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध प्रदान करते समय जिन पर कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, शेयरधारकों की सहमति इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹1,55,000 करोड़ तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने के लिए दी जाती है, एक या एक से अधिक किश्तों में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा कि बोर्ड (या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकरण) अपने विवेकाधिकार से तय कर सकता है, जिसमें पात्र निवेशक (चाहे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या व्यक्ति और/या ट्रस्टी और/या बैंक या अन्यथा, घरेलू और/या एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में निवेश किया जाएगा) जिसमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआईआई"), वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान, निगमित निकाय, कंपनियाँ, निजी या सार्वजनिक या अन्य संस्थाएँ, प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों को एक या एक से अधिक संयोजनों में एक या एक से अधिक चरणों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से और ग्रीन-शू विकल्प (ऊपर बताए अनुसार ₹1,55,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर) का प्रयोग शामिल है।"

यदि कोई हो, तो दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों पर, जो लागू हो सकती हैं और बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिए जा सकने वाले नियमों और शर्तों पर।

"इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") या बोर्ड की विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा अलग-अलग अधिकृत होगा, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बॉण्डों/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, कोई घोषणा/वचन जारी करना आदि, जिन्हें निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल करना आवश्यक है और ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करना और निष्पादित करना, जैसा कि वर्तमान में लागू किसी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत आवश्यक हो सकता है।"

मद संख्या 9: सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या उसके बिना, एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित, (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए, जैसा कि संशोधित किया गया है, समय-समय पर जारी परिपत्रों के साथ और कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या 10001) की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है। P2003DE049100) को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक, लगातार पाँच (5) वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इस अवधि में कंपनी का सचिवीय लेखा-परीक्षण किया जाएगा और कंपनी के निदेशक मंडल (उसकी किसी भी समिति सहित) द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक सहित ऐसे नियमों और शर्तों पर सचिवीय लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

"इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, विलेख, कार्य करने और ऐसे सभी दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के पास आवश्यक प्रपत्र दाखिल करना भी शामिल है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें संलग्न सूचना के मद संख्या 5 से 9 के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में यह विचार किया कि सूचना के मद संख्या 5 से 9 में उल्लिखित विशेष व्यवसाय की मदें, अपरिहार्य प्रकृति की होने के कारण, कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक में निष्पादित की जाएँगी।

2. दिनांक 19 सितंबर, 2024 के परिपत्र को दिनांक 25 सितंबर, 2023, 28 दिसंबर, 2022, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और दिनांक 3 अक्टूबर, 2024, 7 अक्टूबर, 2023, 5 जनवरी, 2023, 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 के परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ें और अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित किया जाएगा, 56वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाएगा।

3. ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी नियुक्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है।

4. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. संयुक्त धारकों द्वारा मतदान के मामले में, ऐसे संयुक्त धारक द्वारा मतदान, जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में उच्चतर है, इस बैठक के उद्देश्य के लिए हकदार होगा और गिना जाएगा।

6. उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुरूप, 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी(यों) में पंजीकृत हैं। सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

   कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी के अन्य अपडेट प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए थे।

   जो शेयरधारक अभी तक अपनी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं कर पाए हैं, वे ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

   - यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।
   - यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड का उल्लेख करते हुए virenders@alankit.com या complianceofficer@recindia.com पर ईमेल भेजें।

7. संस्थागत निवेशकों सहित कंपनी के सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और वार्षिक आम बैठक में निपटाए जाने वाले मदों पर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कॉर्पोरेट सदस्य/संस्थागत निवेशक, जो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र की एक प्रमाणित प्रति, sachincs2022@gmail.com पर ईमेल द्वारा संवीक्षक को भेजें, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर भी भेजी जाए।

8. कंपनी ने 56वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के मद(मदों) पर मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट-ऑफ तिथि बुधवार, 20 अगस्त, 2025** निर्धारित की है, जैसा कि सूचना में विस्तृत है।कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एन एस डी एल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस प्रकार करता है कि वह कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं रहता है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

9. कंपनी सचिव, सचिन अग्रवाल (एफसीएस संख्या 5774) और उनकी अनुपस्थिति में, मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज से सीएस श्वेता जैन (एफसीएस संख्या 7152) को 56वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

10. ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

    एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 56वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 56वीं एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **रविवार, 24 अगस्त, 2025 (0900 बजे)** से शुरू होकर **मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (1700 बजे)** को समाप्त होगी। इसके बाद, मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

    सदस्य 56वीं वार्षिक आम बैठक (वीसी/ओएवीएम) में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल हो सकते हैं, जो **27 अगस्त, 2025 को सुबह 10:45 बजे (आईएसटी)** से, यानी निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, सदस्यों के लिए खुली रहेगी और कंपनी वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए समय सीमा निर्धारित समय के 30 मिनट बाद, यानी वार्षिक आम बैठक की तिथि को सुबह **11:30 बजे** तक बंद कर सकती है। कृपया इस सूचना के साथ संलग्न रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश देखें।

कंपनी, लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, एनएसडीएल की वेबसाइट पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही का वेबकास्टिंग करेगी। सदस्य अपने सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लॉग इन करके कार्यवाही देख सकते हैं।

11. कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 123 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ, समय-समय पर संशोधित, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चार बार अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

क्र. सं.	विवरण	प्रति राशि इक्विटी शेयर (₹)	घोषणा की तिथि	भुगतान की तिथि
1.	पहला अंतरिम लाभांश	3.50	27 जुलाई, 2024	23 अगस्त, 2024
2.	दूसरा अंतरिम लाभांश	4.00	26 अक्टूबर, 2024	22 नवम्बर 2024
3.	तीसरा अंतरिम लाभांश	4.30	06 फरवरी, 2025	06 मार्च, 2025
4.	चौथा अंतरिम लाभांश	3.60	19 मार्च, 2025	16 अप्रैल, 2025

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने 8 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.60 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी और उक्त लाभांश, यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कंपनी की 56वीं एजीएम की तारीख से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को या उनके अधिदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

(क) **गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 ('रिकॉर्ड तिथि')** को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति तक, डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले आंकड़ों के अनुसार डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में सभी लाभकारी मालिकों के लिए।

(ख) **गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 ('रिकॉर्ड तिथि')** को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति के अनुसार कंपनी के साथ दर्ज वैध ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों के लिए।

सेबी ने 23 जून, 2025 के अपने मास्टर परिपत्र और अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से, आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमूना हस्ताक्षर) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड निर्धारित किए हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार, प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखने वाले शेयरधारकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन भौतिक फोलियो में उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वे आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद ही शिकायत दर्ज करने या कोई सेवा अनुरोध करने के पात्र होंगे। ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश सहित कोई भी भुगतान 1 अप्रैल, 2024 से आवश्यक विवरण दर्ज करने पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित प्रासंगिक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doFaq=yes

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को दिए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच जमा करें और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरटीए के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी के बारे में विवरण अपडेट करें, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश भुगतान के संबंध में लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, काटा जा सके।

12. सूचीकरण विनियमों के विनियम 36 और सचिवीय मानक-2 के अंतर्गत अपेक्षित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा/प्रोफ़ाइल इसके साथ संलग्न हैऔर सूचना का हिस्सा है।

13. अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एक आम बैठक में या कंपनी द्वारा एक आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा।

20 अगस्त, 2024 को आयोजित कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक में, शेयरधारकों ने अधिनियम की धारा 142 सहपठित धारा 139(5) के अनुसरण में निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने और अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया। तदनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹68,00,000/- (केवल अड़सठ लाख रुपये) के पारिश्रमिक और लागू करों के भुगतान को मंजूरी दी, जिसे सांविधिक लेखा परीक्षकों, अर्थात् मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया है कि उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, सांविधिक लेखा परीक्षकों को बाहरी लेखा परीक्षा कार्य के लिए वास्तविक उचित यात्रा भत्ता और जेब खर्च का भुगतान किया जा सकता है, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, जैसा भी उचित समझा जाए, उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत करें।

14. समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, प्रेषण और स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में ही रखें क्योंकि इससे भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों के क्षतिग्रस्त/खो जाने और जालसाजी की संभावना समाप्त हो जाती है और शेयरों का कागज़ रहित व्यापार आसान और सुविधाजनक हो जाता है। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) से संपर्क कर सकते हैं।

(क) इसके अलावा, एक से अधिक फोलियो में समान नाम क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी या आरटीए को शेयर प्रमाणपत्रों सहित ऐसे फोलियो का विवरण भेजें और साथ ही अपनी होल्डिंग को एक फोलियो में समेकित करने के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज भी भेजें। शेयर प्रमाणपत्रों के समेकन के अनुरोधों को डीमैट रूप में संसाधित किया जाएगा।

(ख) सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र और अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन; प्रेषण और स्थानांतरण पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने का आदेश दिया है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/forms49 और कंपनी के आरटीए

की वेबसाइट https://alankitassignments.com/investor-charter पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सेवा अनुरोध पर शेयरधारकों द्वारा केवाईसी का अनुपालन करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) सेबी के दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुसार, सुरक्षा धारक जिनके फोलियो में पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने के पात्र होंगे। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे पैन, केवाईसी विवरण और अन्य विवरण कंपनी के आरटीए को निर्धारित प्रपत्रों में तुरंत प्रस्तुत करें, जो कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/forms या आरटीए https://alankitassignments.com/investor-charter पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को भी इस संबंध में सूचना भेज दी है। इसके अलावा, डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अपने केवाईसी, बैंक और अन्य आवश्यक विवरण अपडेट कर लें।

15. चूंकि सेबी ने निवेशकों को भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/ डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट या उसमें बदलाव जमा करें, ताकि कंपनी लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट फॉर्म को कंपनी के आरटीए को इस पते पर भेज सकते हैं यानी **अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055।** इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस / एनईएफटी / डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट फॉर्म सीधे अपने डीपी को भेज सकते हैं।

16. जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट को उसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त/नकद नहीं किया है, वे वारंट/डिमांड ड्राफ्ट को पुनः मान्य करने या ऐसे वारंट/डिमांड ड्राफ्ट के बदले ऑनलाइन भुगतान के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के आरटीए को लिख सकते हैं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि लाभांश कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के भीतर भुनाया नहीं जाता है, तो उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वे सभी शेयर जिनके लाभांश अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि से लगातार 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना दावे के रहे हैं, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक होगा। इसे देखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। अधिनियम और आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक और दावा न की गई राशियों का अपेक्षित विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा, निवेशक-वार राशियों और शेयरों का विवरण, जो कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है, कंपनी की वेबसाइट यानी www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दावा न किया गया अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दावा न किया गया अंतरिम लाभांश क्रमशः अक्टूबर, 2025 और अप्रैल, 2026 में आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के लिए देय होगा।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके बाद के अंतिम लाभांश के संबंध में अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश राशि, यदि कोई हो, का दावा कंपनी के आरटीए, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को अनुरोध भेजकर या 91-1142541234 पर कॉल करके या 'virenders@alankit.com' पर ईमेल करके करें। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 और पहले के लाभांश के लिए अंतरिम लाभांश से संबंधित लाभांश की अवैतनिक/अदावाकृत राशि कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दी गई है और तदनुसार, ऐसी राशियों के संबंध में कोई भी दावा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण को किया जाना है।

जिन सदस्यों के अवैतनिक लाभांश और/या शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, वे कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं और पात्रता पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सदस्य पात्रता पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं और लाभांश और/या शेयरों का दावा करने के लिए https://www.mca.gov.in पर उपलब्ध आईईपीएफ-5 फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/iepf-details देखें।

18. अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म संख्या एसएच-13 जमा करके नामांकन दर्ज कराएँ। यदि कोई सदस्य पूर्व नामांकन से बाहर निकलना या उसे रद्द करके नया नामांकन दर्ज कराना चाहता है, तो वह फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, जमा करा सकता है। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/forms से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर उनके पास डीमैट रूप में हैं, तो वे उक्त विवरण अपने डीपी को और यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कंपनी के आरटीए को जमा कराएँ।

19. अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक रजिस्टर और सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज़, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि अर्थात 27 अगस्त, 2025 तक, सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेज़ों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को complianceofficer@recindia.com पर एक ई-मेल भेजें।

20. इस बैठक के किसी भी कार्य-वस्तु के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित एक ई-मेल complianceofficer@recindia.com पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से कम से कम सात दिन पहले भेजें और कंपनी द्वारा उसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

21. संवीक्षक वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मतदान की समाप्ति के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से बैठक में डाले गए मतों का मूल्यांकन करेगा, उसके बाद, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

22. ई-वोटिंग के परिणाम, जिसमें प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या, अमान्य मत और प्रस्ताव लागू हुआ है या नहीं, संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in)

और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किए जाएँगे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रस्ताव शेयरधारकों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उसे 56वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा।

23. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर सहित complianceofficer@recindia.com पर **रविवार, 24 अगस्त, 2025 (शाम 5:00 बजे आईएसटी)** तक अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

24. सेबी ने 31 जुलाई, 2023 और 4 अगस्त, 2023 के परिपत्रों के माध्यम से, 31 जुलाई, 2023 के मास्टर परिपत्र और अन्य सभी लागू परिपत्रों (उनके अद्यतन/संशोधन सहित) के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") स्थापित किया है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा एससीओआरईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान करने के विकल्प समाप्त होने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (https://smartodr.in/login) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/smart-odr-portal के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

25. धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या निधन के बारे में जल्द से जल्द कंपनी को सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डीपी से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और समय-समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

26. सेबी के 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो केवल उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमियों या अन्य कारणों से अस्वीकृत, वापस कर दिए गए थे या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल किए गए शेयर, उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएँगे। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को प्रस्तुत करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5: श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से अन्य निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। इसके अलावा, सूचीबद्धता विनियमनों के विनियमन 17(1ग) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ("एसीसी"), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने अपने दिनांक 18 अप्रैल, 2025 के पत्र द्वारा श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, आईएएस (बीएच:2000), संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी थी। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ("एमओपी") ने भी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आरईसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में दिनांक 21 अप्रैल, 2025 का आदेश जारी किया है। इसी के मद्देनजर, श्री श्रीवास्तव ने 22 अप्रैल, 2025 को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसके अलावा, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है, जो 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा। लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होने के नाते, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 18 अप्रैल, 2025 के एसीसी संचार, 21 अप्रैल, 2025 के विद्युत मंत्रालय आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा नियंत्रित होंगी।

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उनका कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी रूप से श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 5 पर साधारण प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त साधारण प्रस्ताव पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 5 में दिए गए साधारण प्रस्ताव को पारित करके, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 6: डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन: 02003319) की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 17 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश और 21 मई, 2025 के निविलपत्र के साथ, डॉ. गंभीर सिंह को आरईसी का अंशकालिक

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने 17 अप्रैल, 2025 से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, डॉ. गंभीर सिंह को कंपनी का अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, उनका कार्यकाल उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

सूचीबद्धता विनियमनों और सचिवीय मानक-2 के अनुसार, डॉ. गंभीर सिंह का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है। कंपनी के संविधान के अनुच्छेदों और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, डॉ. गंभीर सिंह रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 17 अप्रैल, 2025 के विद्युत मंत्रालय के आदेश और 21 मई, 2025 के निवलिपत्र और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

डॉ. गंभीर सिंह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, डॉ. गंभीर सिंह को अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 6 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

डॉ. गंभीर सिंह के अलावा, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त विशेष प्रस्ताव पारित करने में, कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई वित्तीय या अन्य संबंध या हित नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 6 में दिए गए विशेष प्रस्ताव को पारित करके, डॉ. गंभीर सिंह को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 7: अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540) की नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 17 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश और 21 मई, 2025 के निवलिपत्र के माध्यम से, डॉ. दुर्गेश नंदिनी को आरईसी का अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, जो उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने 17 अप्रैल, 2025 से डॉ. दुर्गेश नंदिनी को कंपनी का अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। इसके अलावा, उनका कार्यकाल उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

सूचीबद्धता विनियमनों और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में डॉ. दुर्गेश नंदिनी का संक्षिप्त विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है। कंपनी के संविधान के अनुच्छेदों और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, डॉ. दुर्गेश नंदिनी रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगी। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 17 अप्रैल, 2025 के विद्युत मंत्रालय के आदेश और 21 मई, 2025 के निवलिपत्र और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

डॉ. दुर्गेश नंदिनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं और वह कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वह कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 17 अप्रैल, 2025 से डॉ. दुर्गेश नंदिनी को अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 7 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

डॉ. दुर्गेश नंदिनी के अलावा, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त विशेष प्रस्ताव पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस सूचना के मद संख्या 7 पर दिए गए विशेष प्रस्ताव को पारित करके डॉ. दुर्गेश नंदिनी को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 8: प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रतिभूतियों के प्रस्तावित प्रस्ताव या प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए आमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या आमंत्रण के लिए एक विशेष प्रस्ताव द्वारा पूर्व में अनुमोदित न कर दिया गया हो। हालाँकि, "अपरिवर्तनीय डिबेंचर" के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर के सभी प्रस्तावों या आमंत्रणों के लिए वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष प्रस्ताव पारित करे। इसलिए, कंपनी को इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, अर्थात् 26 अगस्त, 2026 तक, एक या एक से अधिक किश्तों में, ₹1,55,000 करोड़ तक के असुरक्षित/ सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है। यह धन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो कंपनी के बॉण्ड/ डिबेंचर धारक हो भी सकते हैं और नहीं भी, समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित

किया जा सकता है। इसके अलावा, ₹1,55,000 करोड़ की उक्त सीमा कंपनी की समग्र उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ('बोर्ड') या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकरण, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, कोई घोषणा/उपक्रम जारी करना आदि, जो निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने आवश्यक हैं और किसी भी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत ऐसे सभी कार्य, विलेख और कार्य करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत होगा।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। व्यवसाय की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 4 जून, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 8 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष प्रस्ताव पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 8 पर निर्धारित विशेष प्रस्ताव पारित करके, प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 9: सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू है) के साथ, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों की कंपनियों को अधिनियम की धारा 134(3) के तहत तैयार की गई अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ एक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

इसके अलावा, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24A में हाल ही में किए गए संशोधनों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा। तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों (सहकर्मी समीक्षा संख्या 2725/2022 और फर्म

पंजीकरण संख्या P2003DE049100) को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है:

क. नियुक्ति की अवधि: 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक लगातार 5 (पाँच) वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए।

ख. कंपनी के निदेशक मंडल ने सचिवीय लेखा परीक्षक को उनके कार्यकाल के दौरान देय वार्षिक पारिश्रमिक, जिसमें जेब से किए जाने वाले खर्च भी शामिल हैं, निर्धारित किया है। लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिशें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सूचीकरण विनियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और योग्यताओं की पूर्ति पर आधारित हैं। इसके अलावा, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, एक अनुभवी पेशेवर फर्म है, जिसके पास विविध उद्योगों में सचिवीय लेखा परीक्षा और कॉर्पोरेट अनुपालन में विशेषज्ञता वाला समृद्ध अनुभव है।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। व्यवसाय की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 9 पर साधारण प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का संबंध या हित नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 9 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव पारित करके सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

आईसीएसआई द्वारा जारी लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक-2 के अनुसार, इस सूचना में निर्धारित अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक(ओं) का संक्षिप्त प्रोफाइल।

निदेशक(ओं) का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	डॉ. गंभीर सिंह	डॉ. दुर्गेश नंदिनी
डीआईएन	08364288	06817799	02003319	09398540
जन्म तिथि	16 मार्च, 1983	19 नवंबर, 1974	11 जून, 1968	1 जुलाई, 1971
आयु	42 वर्ष	50 वर्ष	57 वर्ष	54 वर्ष
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	21 अगस्त, 2023	22 अप्रैल, 2025	17 अप्रैल, 2025 *(उन्होंने 15 नवंबर, 2021 से 14 नवंबर, 2024 तक कंपनी में अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद संभाला है। 17 अप्रैल, 2025 से उन्हें फिर से अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।)*	17 अप्रैल, 2025 *उन्होंने 30 दिसंबर, 2021 से 26 दिसंबर, 2024 तक कंपनी में अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद संभाला है। 17 अप्रैल, 2025 से उन्हें फिर से अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है)।*
योग्यताएं	आईएएस (एमपी: 2007), आईआईटी दिल्ली से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)	आईएएस (बीएच:2000), कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर और हंसराज कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) से अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में बी.ए.	गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल से एमबीबीएस और जीआर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर से सर्जरी में मास्टर डिग्री।	गोरखपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से शिक्षा में स्नातकोत्तर तथा डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि।
कौशल और क्षमताओं सहित विस्तृत प्रोफ़ाइल/ बायोडाटा	श्री शशांक मिश्र, सरकारी नामित निदेशक, वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में कार्य किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, जिनमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद शामिल हैं।	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव बिहार कैडर (2000 बैच) के आईएएस अधिकारी हैं और दो दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा के साथ एक अनुभवी सिविल सेवक हैं। इन वर्षों में, उन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार में कई प्रमुख प्रशासनिक और नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं। श्री श्रीवास्तव जनवरी 2023 से जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, वे बिहार सरकार के गृह विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में सचिव के रूप में कार्यरत थे।	डॉ. गंभीर सिंह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन हैं। उन्हें 25 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है, उन्होंने जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर और पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर में अपनी सेवाएँ दी हैं। डॉ. गंभीर सिंह 2008 से रायपुर में 50 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल चला रहे हैं। वह नियमित रूप से जीपीएम जिले के ग्रामीणों को औषधीय वृक्षों के रोपण के लिए शिक्षित कर रहे हैं, जिनके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। उन्होंने विभिन्न सूचकांक पत्रिकाओं में 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्र भी प्रकाशित किए हैं और स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परीक्षक भी रहे हैं।	डॉ. दुर्गेश नंदिनी पूर्व में एक प्रतिष्ठित गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुकी हैं और हरियाणा सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के संपादन में अपनी भागीदारी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी हैं। डॉ. दुर्गेश नंदिनी को राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठन "जागृति" के बैनर तले प्रमुख सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का समृद्ध और विविध अनुभव है। वह स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। वह महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक परियोजना पर काम कर रही हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए अपराजिता फाउंडेशन के साथ सहयोग कर रही हैं।

निदेशक(ओं) का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	डॉ. गंभीर सिंह	डॉ. दुर्गेश नंदिनी
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री शशांक मिश्र, वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और सुशासन, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।	श्री श्रीवास्तव की नियुक्तियों में वित्त, विद्युत क्षेत्र, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यभार शामिल है।	डॉ. गंभीर सिंह वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और सुशासन, व्यापार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।	डॉ. दुर्गेश नंदिनी वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और सुशासन, व्यवसाय विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं।
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम तथा भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	उनकी नियुक्ति के नियम व शर्तें विद्युत मंत्रालय के 21 अगस्त, 2023 के कार्यालय आदेश और/या इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकारी नामित निदेशक कंपनी से कोई भी बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। हालाँकि, उनके द्वारा भाग लेने वाली बोर्ड या समिति की बैठकों के संबंध में यात्रा/दैनिक भत्ता, जेब से होने वाले खर्च आदि का भुगतान/प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।	उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 18 अप्रैल, 2025 के एसीसी संचार, 21 अप्रैल, 2025 के विद्युत मंत्रालय के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी।	उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 17 अप्रैल, 2025 और 21 मई, 2025 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। वह आरईसी की बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार, बैठने का शुल्क प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा, ऐसी बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई टिकट, होटल आवास, वाहन किराये, जेब खर्च, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान/प्रतिपूर्ति आरईसी द्वारा वहन की जाएगी।	उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 17 अप्रैल, 2025 और 21 मई, 2025 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। वह आरईसी की बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार, बैठने का शुल्क प्राप्त करने की हकदार हैं। इसके अलावा, ऐसी बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई टिकट, होटल आवास, वाहन किराये, जेब खर्च, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान/प्रतिपूर्ति आरईसी द्वारा वहन की जाएगी।
कंपनी में शेयरधारिता, जिसमें लाभकारी स्वामी के रूप में भी शामिल है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 13 बोर्ड बैठकों में भाग लिया।	लागू नहीं.	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने कार्यकाल के दौरान 8 बोर्ड बैठकों में भाग लिया।	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने कार्यकाल के दौरान 11 बोर्ड बैठकों में भाग लिया।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग ली गई समिति की बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2 समिति बैठकों में भाग लिया।	लागू नहीं.	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने कार्यकाल के दौरान 15 समिति बैठकों में भाग लिया।	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने कार्यकाल के दौरान 17 समिति बैठकों में भाग लिया।

निदेशक(ओं) का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	डॉ. गंभीर सिंह	डॉ. दुर्गेश नंदिनी
अन्य कंपनियों / सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड।	समर्पण हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	शून्य
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से इस्तीफा दिया गया उनका विवरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31 मार्च, 2025 तक आरईसी के अलावा सभी सार्वजनिक कंपनियों की समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता	• पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष) • नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (अध्यक्ष) • हितधारक संबंध समिति (अध्यक्ष) • जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) • आईटी रणनीति समिति (अध्यक्ष) • सीएसआर समिति (सदस्य)	लागू नहीं.	लागू नहीं.	लागू नहीं.
निदेशकों एवं केएमपी के बीच संबंध	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं

****

सूचना का अनुलग्नक

सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग, वीसी ओएवीएम के माध्यम से 56वीं एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निर्देश

क) 56वीं वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **रविवार, 24 अगस्त, 2025 (0900 बजे) से शुरू होकर मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (1700 बजे)** को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम **कट-ऑफ तिथि** के अनुसार सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं। दिनांक यानी **20 अगस्त, 2025 ("कट-ऑफ तिथि)** को मतदान करने वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार उक्त कट-ऑफ तिथि पर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करना होगा:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

क) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधिः

सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही ढंग से अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा **आईडीईएएस** यूजर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-से वा होम पेज पर **"लॉगिन"** के अंतर्गत **"लाभकारी स्वामी"** आइकन पर क्लिक करें जो **'आईडीईएएस'** अनुभाग में उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुंच" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम यानी आरईसी लिमिटेड या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/Ideas DirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम यानी आरईसी लिमिटेड या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें 5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"एनएसडीएल स्पीड"** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल इजी/इजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इजी/इजीएस्ट लॉगिन करने वाले यूजर से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपना मौजूदा माईइजी यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें। 2. इजी/इजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद, यूजर उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प भी देख पाएगा, जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि यूजर सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। 3. यदि यूजर इजी/इजीएस्ट (Easi/Easiest) के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www. cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, यूजर होम पेज पर https://www.cdslindia.com लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, यूजर को संबंधित ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा जहां ई-वोटिंग चल रही है।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, कृपया देखें कि ई-वोटिंग विकल्प उपलब्ध है या नहीं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम यानी आरईसी लिमिटेड या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'यूजर आईडी भूल गए" या "पासवर्ड भूल गए विकल्प उपयोग करने की सलाह दी जाती है ।

डिपॉज़िटी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-21-09911 पर कॉल कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा) और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन के डेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
4. एनएसडीएल ई-वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का विवरण:

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	यूजर आईडी
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में मोचर रखते हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंक यानी क्लाईंट आईडी उदाहरण के लिए : यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन300*** 12****** होगी।
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी होगी। उदाहरण के लिए : यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी यूजर आईडी 12 **************है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	सम संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए: यदि फोलियो संख्या 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगी

5. **व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

   ग) अपना प्रारंभिक पासवर्ड कैसे प्राप्त करें?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी पीडीएफ फ़ाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड होता है।

      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) यदि आपने एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट मोपर रखें है तो www.evoting.adl.com पर उपलब्ध यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए विकल्प पर क्लिक करें।

   ख) यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे है, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड विकल्प पर क्लिक करें।

   ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या पेन, नाम और पंजीकृत पता बताते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस्य ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते है।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन कर "नियम और शर्तों" से सहमत पर टिक करें।
8. अब आपको 'लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
9. लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाले और एनएसम ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हो

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान जिस कंपनी के लिए आप वोट डालना चाहते हैं, उसका "ईवीईएन" चुनें और जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट डालें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने आपको जॉइन जनरल मीटिंग के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुल गया है, अब आप ई - वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर "सबमिट" और "पुष्टि" पर क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट पुष्टि कर देंगे, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. वीसी /ओएवीएम के माध्यम से 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार है:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारक/सदस्य लॉगिन के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने ज्वाइन मीटिंग मेनू के अंतर्गत 'वीसी/ओएवीएम का लिंक देख सकते है। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीएन प्रदर्शित होगी। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं. वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा ऑन रखने की अनुमति देनी होगी तथा अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
4. कृपया ध्यान दे कि मोबाइल डिवाइस या टेबलेट या लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए इस तरह की किसी भी तरह की गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ग. 56वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

1. बैठक में सूचना के सभी मदों पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को sachincs2022@gmail.com पर भेजें, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर मार्क की गई हो।
2. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
3. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
5. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है उसका विवरण वही होगा जैसा कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लेख किया गया है।

घ. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है। इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए है तो कृपया फोलियो नंबर शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पेन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल (complianceofficer@recindia.com) प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपी आईडी सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी सीएलआईडी या अंकों की लाभार्थी आईडी, नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) (complianceofficer@recindie.com) पर उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक है. तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण (ए) में बताई गई लॉगिन विधि अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि का संदर्भ लें।
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपाजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमेट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए' या 'भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड विकल्प से गुजरना होगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting nsdl. com पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरा तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी -32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 को निर्दिष्ट ईमेल पते पर अनुरोध भेज सकते हैं: सदस्य कंपनी के ईमेल पते complianceofficer@recindia.com पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।